



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

पेंशन अदालत -2022

केवल भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के कार्यालय रांची से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर ही इस पेंशन अदालत-2022 में भाग ले सकते हैं ।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के रांची स्थित सभी कार्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों हेतु इस कार्यालय में विडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा पेंशन अदालत-2022 का आयोजन मार्च माह में किया जाना है जिसकी तिथि की सूचना बाद में दी जायेगी ।

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतें, यदि हो तो, नीचे वर्णित जानकारी email address-agaejharkhand@cag.gov.in अथवा **Whatsapp No. 9142996032** में निम्नलिखित जानकारियों के साथ दिनांक 14.03.2022 तक निष्पादन हेतु भेज सकते हैं ।

कृपया E.mail अथवा whatsapp करते समय "Subject" में "PENSION ADALAT- 2022" अवश्य लिखें ।

विषय - पेंशन अदालत-2022

क्र० सं०	विषय	पेंशनर द्वारा भरे जाने वाले विवरण
1.	पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का नाम एवं पदनाम (सेवानिवृत्ति के समय)	
2.	सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख	
3.	पी० पी० ओ० संख्या	
4.	पत्राचार का पता	
5.	Whatsapp No.	
6.	शिकायत का विवरण	
7.	दिनांक सहित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का हस्ताक्षर	


व. उप महालेखाकार (प्रशासन)